



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बुहम्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929

No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 588(अ)।—केन्द्रीय सरकार, काम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 100 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अहताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अहताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2007 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्तु होंगे।
3. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अहताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पद की अवधि—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, अध्यक्ष तब तक कि वह धारण करेगा जब तक कि वह सङ्गठन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।”

[फा. सं. ए-12023/2/2007-प्रशा. IV]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणि:**—मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा इसके अनुवर्ती सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253(अ) दिनांक 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 20 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997, सा.का.नि. 370(अ) दिनांक 30 जून, 1998, सा.का.नि. 203(अ) दिनांक 12 मार्च, 1999, सा.का.नि. 680(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1999, सा.का.नि. 683(अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 1999 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2007

**G.S.R. 588(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of Sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely:—

1. These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2007.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, for rule 8, the following shall be substituted namely :—

**"8. Term of office of Chairman, Vice-Chairman and Members:**— Except as provided in rule 6 or 7, the Chairman shall hold office till he attains the age of sixty seven years, the Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty two years."

[F.No. A-12023/2/2007-AD. IV]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

**Foot Note :**— Principal rules were notified *vide* G.S.R. 388(E) dated April 28, 1993 and subsequently amended *vide* G.S.R. 503(E) dated June 3, 1994, G.S.R. 253(E) dated May 28, 1996, G.S.R. 532(E) dated November 20, 1996, G.S.R. 49(E) dated January 31, 1997, G.S.R. 370(E) dated June 30, 1998, G.S.R. 203(E) dated March 12, 1999, G.S.R. 680(E) dated September 30, 1999, G.S.R. 683(E) dated October 5, 1999.